बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र04 / ख0वि0अधि0–01 / 11(खंड–1)– 9958 खाद्य, पटना / दिनांक– 21.12.201

प्रेषक,

एo केo सिन्हा,
विकास आयुक्त ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2011–12 में धान अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2011–12 में धान अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश आपको पत्रांक 9624 दिनांक 07.12.2011 द्वारा भेजा जा चुका है । विभिन्न श्रोतों से कतिपय बिन्दुओं पर अस्पष्टता की स्थिति रहने के कारण दिशा–निर्देश की मांग की जा रही है । इस सम्बन्ध में निम्न निदेश दिये जा रहे हैं :–

1. **पैक्सों को गनी बैग के मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में**

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि पैक्सों के द्वारा भारतीय खाद्य निगम के मानक के अनुरूप नये गनी बैग में धान की आपूर्ति बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर किये जाने की स्थिति में उन्हें सी0एम0आर0 के लिए निर्धारित Cost Sheet में गनी बैग के Depreciation मद में देय राशि 32.32 रूपये का भुगतान बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा किया जायेगा ।

2. **पैक्सों को सूद की राशि के भुगतान के सम्बन्ध में**

भारत सरकार के द्वारा सी0एम0आर0 के लिए निर्धारित Cost Sheet में दो माह का व्याज देय है । इसमें से पैक्सों को 15 दिनों का व्याज बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

3. **हथालन एवं परिवहन राशि के भुगतान के सम्बन्ध में**

वर्तमान में अधिप्राप्ति की व्यवस्था के अन्तर्गत पैक्सों को किसानो से धान क्रय कर बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर परिवहन कर लाना है । बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा अपने क्रय केन्द्र / बेस गोदाम से धान को मिलिंग हेतु राईस मिल में पहुंचाना है एवं तैयार सी0एम0आर0 को भारतीय खाद्य निगम के बेस गोदाम पर पहुंचाना है । किसी भी

परिस्थिति में पैक्स को राइस मिल पर धान बिहार राज्य खाद्य निगम को नहीं सौंपना है । यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा सी0एम0आर0 हेतु निर्धारित Cost Sheet में हथालन एवं परिवहन के लिए देय राशि में से पैक्सों को राज्य खाद्य निगम द्वारा 50 प्रतिशत राशि भुगतान किया जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय ताकि अधिप्राप्ति कार्य में कोई व्यवधान न हो ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
विकास आयुक्त ।

ज्ञापांक – प्र04/ख0वि0अधि0–01/11(खंड–1)– 9948 खाद्य, पटना/दिनांक– 21.12.2011
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सोन भवन, पटना/सभी जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
विकास आयुक्त ।

ज्ञापांक– प्र04/ख0वि0अधि0–01/11(खंड–1)– 9948 खाद्य, पटना/दिनांक– 21.12.2011
प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार, पटना एवं विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

21/12/11
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र04/ख0वि0अधि0–01/11(खंड–1)– 9948 खाद्य, पटना/दिनांक– 21.12.2011
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

21/12/11
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र04/ख0वि0अधि0–01/11(खंड–1)– 9948 खाद्य, पटना/दिनांक– 21.12.11
प्रतिलिपिः आई0 टी0 पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

21/12/11
सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\2011\Sec_4\vividh.doc